राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 189

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 17 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

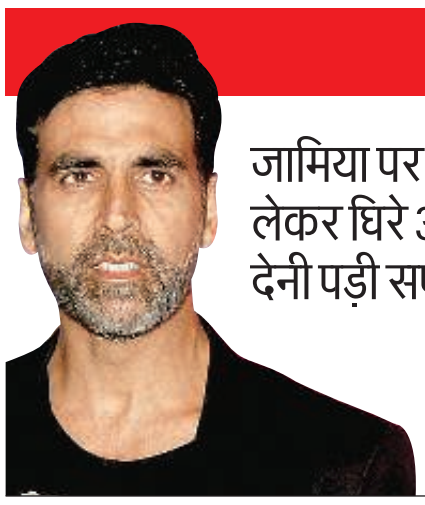

जामिया पर ट्वीट को लेकर घिरे अक्षय, देनी पड़ी सफाई

>> 5

हिंसा रुकने पर होगी सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट

तीखे तेवर ▶ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया विवि छात्रों के हिंसक आंदोलन पर तल्ख टिप्पणी

सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी बर्दाश्त नहीं, आज सुनवाई को हुआ राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को गंभीरता से लिया है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग पर सख्त लहजे में कहा कि पहले हिंसा रुकनी चाहिए। अगर हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जारी रहा तो सुनवाई नहीं की जाएगी। बाद में मंगलवार को मामले पर सुनवाई को राजी होते हुए कोर्ट ने कहा कि हम अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं। अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, लेकिन इस माहौल में सुनवाई नहीं हो सकती।

ये सख्त टिप्पणियां सोमवार सुबह प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने उस वक्त कीं जब वरिष्ठ वकील इंद्रा जयसिंह और कोलिन गोंसाल्विस ने कोर्ट से जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में पुलिस अत्याचार पर स्वतः संज्ञान लेने और छात्रों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की मांग की। जयसिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का भी मामला उठाया। इन वकीलों ने जस्टिस बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के बैठते ही मामले का जिक्र करते हुए तत्काल स्वतः संज्ञान लेकर दखल देने की मांग की। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह यह सब करेंगे। लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, लेकिन पहले हिंसा रुकनी चाहिए। ऐसे माहौल में सुनवाई नहीं हो सकती। जब हिंसा हो रही है तो पुलिस को क्या करना चाहिए, इस पर जयसिंह ने कहा कि हिंसा छात्रों ने नहीं की है। यह पुलिस की गढ़ी कहानी है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप क्या कह रही हैं। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बसों को आग लगाई जा रही है। हम यह नहीं कह रहे कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन यह रुकना चाहिए। इसके रुकने के बाद ही ठंडे दिमाग से मामले पर विचार हो सकता है। कोर्ट देखेगा कि क्या किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या है।

जब कोर्ट यह कह रहा था कि तभी कई वकीलों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। कुछ वकील कोर्ट को घटना का वीडियो दिखाना चाहते थे। कुछ तत्काल पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप कोर्ट पर इस तरह दबाव नहीं बना सकते। सिर्फ आपकी बातों को सुनकर आदेश नहीं दिया जा सकता। जो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहते हैं करें, लेकिन कोर्ट इस तरह सुनवाई नहीं कर सकता।

इंद्रा जयसिंह ने कहा कि वकीलों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, इसी तरह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस ने विश्वविद्यालय के अंदर घुसकर लाइब्रेरी में छात्रों पर अत्याचार किया है। गोंसाल्विस ने कहा कि पुलिस हमले में छात्रों को चोटें आई हैं, उन्हें उचित चिकित्सा मुहैया नहीं कराई जा रही है। कोर्ट को एएमयू के वीसी और जामिया मिल्लिया के प्राक्टर के बयान पर ध्यान देना चाहिए। गोंसाल्विस ने कहा कि कोर्ट सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक कमेटी बना दे जो एएमयू जाकर देखे कि वहां क्या हो रहा है। पीठ ने वकीलों से कहा कि वे याचिका दाखिल करें। मामले पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। मालूम हो कि रविवार को जामिया के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था जिसमे हिंसा हुई थी। पुलिस ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

संबंधित खबरें पेज>>2-3-5

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

दिल्ली हाई कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली, जासं : जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका सोमवार को ही सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर की पीठ के समक्ष पेश की गई। पीठ ने इसे सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इस पर आपात सुनवाई की जरूरत नहीं है। अधिवक्ता तारिक खान और अपूर्व सिंघल के माध्यम से अधिवक्ता रिजवान ने यह याचिका दायर की है। जामिया निवासी रिजवान ने दावा किया है कि 15 दिसंबर को जब छात्र और शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर घुस आई और आंसू गैसे के गोले छोड़ने के साथ ही लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने छात्रों पर फायरिंग की और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया।

नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर उपद्रव जारी, उप्र में भी बढ़ीं घटनाएं

नई दिल्ली : देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के नाम पर दिल्ली सहित कई स्थानों पर रविवार को हुई हिंसा के बाद सोमवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों ने लगातार चौथे दिन प्रदर्शन किया। वहीं, उप्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएएमयू) में रविवार को हुई हिंसा के बाद इसकी चिंगारी राजधानी लखनऊ स्थित नदवा कॉलेज होते हुए मऊ तक जा पहुंची। नदवा कॉलेज के छात्रों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया जबकि मऊ में रोडवेज की बसों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई जिसमें कई यात्री घायल हो गए। मऊ शहर के दो थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। बंगाल में भी हिंसक विरोध-प्रदर्शन जारी है।

सरोकार

आसान शिकार के चक्कर में आलसी हो चले बाघ!

लखीमपुर : जंगल में भरपूर शिकार उपलब्ध होने के बावजूद आबादी का रुख क्यों कर रहे हैं बाघ? व्यवहार में आए बदलाव पर हुआ अध्ययन। जंगली पशुओं का कठिन शिकार करने की जगह आबादी में मिल जाता है आसान शिकार। (पेज-10)

जागरण विशेष

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाएं लोग...

नई दिल्ली : गौतमबुद्ध नगर में खनन माफिया को धूल चटाने वाली आइएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल पर फिल्म बन रही है। दुर्गा शक्ति कहती हैं कि इससे आम व्यक्ति को लड़ने की हिम्मत मिले तो खुशी होगी। (पेज-11)

विश्वास News

घायल बच्ची की तस्वीर का सीएए से कोई लेना-देना नहीं ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 11

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

चार माह के भीतर अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर : शाह

गोड्डा : 'अयोध्या में चार माह के भीतर भगवान राम का भव्य गगनचुंबी मंदिर बनेगा। यह दुनिया के सुंदर मंदिरों में एक होगा।' यह बातें केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहीं। वह सोमवार को झारखंड के पाकुड़ और गोड्डा में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पाक ने पुंछ से गुरेज तक की भारी गोलाबारी, जवान शहीद

जम्मू : पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को पुंछ से लेकर गुरेज सेक्टर तकभारत के सैन्य व नागरिक ठिकानों पर भारी गोलाबारी की, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना का एक अग्रिम मोर्चा तबाह हो गया और एक अधिकारी व तीन जवान जख्मी हो गए। तीन अन्य लोगों के मारे जाने की भी सूचना है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

'बढ़ते कॉल ड्रॉप के लिए गैरकानूनी बूस्टर्स जिम्मेदार'

नई दिल्ली : कॉल ड्रॉप की परेशानी का हल खोजने में विफल टेलीकॉम कंपनियों ने गैरकानूनी बूस्टर्स और रिपीटर्स को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनियों ने कहा है कि इसी वजह से मोबाइल ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

नाइजीरिया के नजदीकी समुद्र से 20 भारतीय फिर अगवा

नई दिल्ली : एक व्यापारिक जहाज पर सवार 20 भारतीयों का अफ्रीका महाद्वीप में समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया है। वाकया नाइजीरिया के नजदीक के समुद्री इलाके में रविवार को घटित हुआ। नाइजीरिया तट के नजदीक से ही दस दिन पहले हांगकांग के जहाज से 18 भारतीयों का अपहरण हुआ था।

नाबालिग से दुष्कर्म में विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार

उन्नाव कांड

- तीस हजारी अदालत ने सुनाया फैसला तो रोने लगा सेंगर
- सह आरोपित महिला शशि सिंह संदेह के लाभ में बरी

दुष्कर्म के दोषी करार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की फाइल फोटो। एएनआइ

पीड़िता का बयान सत्य और बेदाग पाया। उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। वह खतरे में थी और चिंतित थी। वह एक गांव की लड़की है, न कि किसी महानगर की। सेंगर शक्तिशाली व्यक्ति था और इसलिए पीड़िता ने अपना पक्ष रखने में समय लिया।

-न्यायाधीश धर्मेश शर्मा (फैसला सुनाते वक्त की टिप्पणी)

इस केस को लड़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है। यह सच की जीत है और पीड़िता को इंसाफ मिलने की शुरुआत है।

-धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, पीड़िता के वकील

हम फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। यह केस यहीं खत्म नहीं हो गया है।

-तनवीर अहमद मीर, दोषी के वकील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव दुष्कर्म मामले में तीस हजारी अदालत ने उत्तर प्रदेश भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत ने पीड़िता को नाबालिग मानते हुए सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। सह आरोपित शशि सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने सजा पर बहस के लिए 19 दिसंबर का दिन तय किया था, लेकिन दोषी के वकील ने मंगलवार को ही बहस करने की अपील की। अदालत ने इसे मान लिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान शशि सिंह रोने लगी और बेहोश हो गई। दोषी करार दिए जाने पर कुलदीप सेंगर भी कोर्ट रूम में रोने लगा।

तीस हजारी अदालत ने जांच में कई पहलुओं पर लापरवाही बरतने के लिए सीबीआइ को लताड़ लगाई, लेकिन इस बात के लिए शाबादी भी दी कि उसने साबित किया कि पीड़िता नाबालिग थी और सेंगर पर पॉक्सो एक्ट के तहत सही केस चलाया गया था। पीड़िता द्वारा उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखने के बाद उसके परिवार पर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए और उनमें सेंगर की भूमिका भी देखी गई।

इन धाराओं के तहत दोषी : अदालत ने कुलदीप सेंगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 सी (लोक सेवक द्वारा बच्चे के खिलाफ भयावह यौन उत्पीड़न) और 6 (जो बच्चे के खिलाफ भयावह यौन उत्पीड़न करे उसे कम से 10 साल और अधिकतम उम्रकैद और जुर्माना अदा करने की सजा) के तहत दोषी करार दिया है।

कुलदीप ने आवास पर किया दुष्कर्म : सीबीआइ के आरोपपत्र के मुताबिक नाबालिग के साथ 4 जून 2017 को कुलदीप सेंगर ने अपने आवास पर दुष्कर्म किया था। शशि सिंह पर आरोप था कि वह पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने सेंगर के घर लेकर गई थी।

रोजाना हुई सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में स्थानांतरित किया गया। गत 5 अगस्त से इस पर रोजाना सुनवाई हुई। कई बार सरकारी छुट्टी के दिन भी केस सुना गया। यहां तक कि पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए तीन दिन तक एम्स में भी अदालत लगी।

कई मामले अभी विचाराधीन : उन्नाव कांड से जुड़ा सामूहिक दुष्कर्म मामला, पीड़िता के पिता की हत्या और पीड़िता को ट्रक से कुचलने की कोशिश के मामले अभी विचाराधीन हैं।

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 133 दिन में सुनाया अपना फैसला पेज>>6

जनवरी के पहले सप्ताह में होंगी सीबीएसई की प्रायोगिक परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं एक से सात जनवरी के बीच आयोजित होंगी। 15 फरवरी से स्किल विषयों की सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। बोर्ड जल्द ही इसके लिए समयसारिणी जारी करेगा। परीक्षाएं लगभग एक महीने के भीतर करा ली जाएंगी। मुख्य विषयों की परीक्षाएं फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। परीक्षा खत्म होने के एक महीने बाद परिणाम भी घोषित होंगे।

बोर्ड के अनुसार, रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की भी योजना है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सैंपल पेपर्स और मार्किंग स्कीम भी जारी कर दी है। पिछले तीन वर्षों में सीबीएसई परीक्षा शुरू होने से 50 दिन पहले डेट शीट जारी कर रहा है। 2017 और 2018 में परीक्षाएं दो या तीन मार्च से शुरू हुई थीं।

हिंसा पर राज्यपाल ने ममता को किया तलब

- जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा-निजी तौर पर हालात से अवगत कराएं सीएम
- मुख्य सचिव व डीजीपी से कोई जानकारी नहीं मिलने से नाराज हैं राज्यपाल

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन पर राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक से कोई जानकारी नहीं मिलने को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ नाराज हैं। सोमवार को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद आकर उन्हें निजी तौर पर राज्य की परिस्थिति से अवगत कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि बुलाए जाने के बावजूद राज्य के दो बड़े अधिकारी उन्हें हालात का जायजा देने नहीं पहुंचे। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण व अवांछनीय बताया।

बता दें राज्यपाल ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को विस्तृत जानकारी के साथ बुलाया था, हालांकि दोनों में से कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया-'राज्य में व्याप्त स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निजी तौर राज्य के हालात से अवगत कराने को कहा है। वह अपनी सुविधानुसार राजभवन आने का समय चुन सकती हैं। मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।' इधर, राज्य के प्रशासनिक सूत्रों की ओर से कहा गया है कि मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक सही समय पर राज्यपाल को पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे।

ममता का विरोध असंवैधानिक : सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली को भी राज्यपाल ने असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। सोमवार सुबह राज्यपाल ने ट्वीट किया-' मैं बेहद दुखी हूं कि सीएम और उनके मंत्री सीएए के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से इस असंवैधानिक और भड़काऊ कृत्य को रोकने की अपील की है क्योंकि इससे हालात बिगड़ेंगे।'

हाई कोर्ट भी सख्त, मांगी रिपोर्ट

बंगाल में पिछले चार दिनों से जारी हिंसा के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से हिंसा रोकने को लेकर अब तक की गई कार्रवाई और कानून एवं व्यवस्था कायम करने के संबंध में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट तलब की है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया था कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को लागू करने से कैसे मना कर सकती है? हिंसा में रेलवे और परिवहन विभाग की नष्ट हुई संपत्ति की क्षतिपूर्ति कौन करेगा? याचिकाकर्ता ने राज्य में व्याप्त हिंसा को रोकने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। अदालत ने हिंसा रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तारित रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही 18 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

राज्यों की मांग पूरी, जारी किए गए जीएसटी कंपनसेशन के 35000 करोड़ रुपये

- जीएसटी काउंसिल की बैठक से पूर्व राज्यों को मिला बूस्टर डोज
- बुधवार की बैठक में कंपनसेशन का मुद्दा हावी रहने के थे आसार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जीएसटी काउंसिल की बैठक से दो दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के मद में 35000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। रेवेन्यू की धीमी रफ्तार की वजह से वित्तीय दिक्कतों से जूझ रहे राज्य इसकी पुरजोर मांग कर रहे थे। बुधवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस मुद्दे के हावी होने की आशंका बन गई थी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट के मुताबिक, 'केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी कंपनसेशन के मद में 35298 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।' विभिन्न राज्य पिछले कुछ दिनों से केंद्र पर कंपनसेशन के भुगतान का निरंतर दबाव बनाए हुए थे। गैर भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें जीएसटी कंपनसेशन के भुगतान में हो रही देरी को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत भी कराया था। राज्यों का कहना था कि भुगतान में हो रही देरी के चलते विकास से संबंधित कार्य बाधित हो रहे हैं।

वित्त मंत्री ने भी कई मंचों से राज्यों को आश्वस्त किया था कि सरकार जल्द ही इस राशि का भुगतान करेगी। सोमवार को भी यह राशि जारी होने से पूर्व वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के भुगतान के वादे से केंद्र नहीं मुकरेगा। उनका कहना था कि कलेक्शन में अपेक्षाकृत तेजी नहीं होने के कारण कंपनसेशन की राशि जारी करने में देरी हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा, 'निश्चित ही यह उनका अधिकार है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रही हूं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हम इसे नहीं रोक रहे। राज्यों को इसका भुगतान किया जाएगा।' गैर भाजपा शासित राज्यों की तरफ से कंपनसेशन का मुद्दा जीएसटी काउंसिल की बैठक में जोर शोर से उठाने की तैयारी थी। इससे काउंसिल की बैठक प्रभावित हो सकती थी। माना जा रहा है कि काउंसिल की बैठक में जीएसटी रेवेन्यू की धीमी रफ्तार को लेकर ही चर्चा होनी है। राज्यों की तरफ से अधिकारियों की समिति की बैठक में रेवेन्यू बढ़ाने के कई उपाय भी सुझाए गए हैं। हालांकि सूत्रों ने बैठक में दरों में वृद्धि जैसे किसी निर्णय की संभावनाओं से इन्कार किया है।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवाने होंगे नए भारतीय सेना प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। वे इस समय 13 लाख जवानों वाली सेना के उप प्रमुख हैं। उनकी नियुक्ति को उच्च स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है और सरकार ने इस मामले में वरिष्ठता के नियम का पालन किया है। नरवाने वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की संभावना है।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की फाइल फोटो। प्रेट्र

इस साल सितंबर में सेना का उप प्रमुख पद संभालने से पहले नरवाने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। सेना की यह कमान चीन से लगती 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करती है। नरवाने की नियुक्ति ऐसे समय हो रही है, जब आतंकी गतिविधियों के जरिये पाकिस्तान की भड़काऊ कार्रवाई से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं।

जानिए नए सेना प्रमुख को

- लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जून 1980 में सातवीं सिख लाइट इन्फैंट्री में कमीशन हुए थे।
- अपनी 37 साल की सेवा में वे कई कमानों में काम कर चुके हैं।
- उनके पास जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकरोधी कार्रवाइयों का लंबा अनुभव है।
- जम्मू-कश्मीर में अपने बटालियन के सफल संचालन के लिए उनको सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।
- उन्होंने श्रीलंका में शांति रक्षक बल में काम किया है। वे म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास में रक्षा अताशे भी रहे हैं।
- नरवाने की शादी वीणा नरवाने से हुई है, जो शिक्षिका हैं। उनकी दो बेटियां हैं।

धोखाधड़ी

जीसटी में आनलाइन फर्जीवाड़े का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में जो मामला सामने आया है वह केवल इसी राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें कई राज्यों तक फैली हैं

उत्तराखंड में ई-वे बिल में 8500 करोड़ का फर्जीवाड़ा

- कर विभाग ने छापा मारकर 70 बोगस फर्मों पर कसा शिकंजा
- फर्जीवाड़े के दायरे में दिल्ली समेत करीब आधा दर्जन राज्य

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में कर महकमे (वस्तु एवं सेवा कर) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई-वे बिल में करीब 8500 करोड़ का ऑनलाइन फर्जीवाड़ा पकड़ा है। 70 बोगस फर्मों ने बीते दो महीनों में फर्जी तरीके से राज्य के भीतर और बाहर करीब 8500 करोड़ के ई-वे बिल बनाए। इन 70 में से 34 फर्म दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के बिल बना रही थीं। 26 फर्मों के माध्यम से चप्पल की बिक्री अन्य राज्यों में दिखाई गई।

उत्तराखंड में जीएसटी लागू होने के बाद माल एवं वस्तु कर के तहत ई-वे बिल में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का यह अपनी तरह का अलहदा मामला है। इस फर्जीवाड़े की आंच दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान तक पहुंच रही है। वित्त सचिव अमित नेगी के निर्देश पर मंगलवार को कर आयुक्त जीएसटी की 55 टीमों ने कुल 70 फर्मों (ऊधमसिंह नगर में 68 और देहरादून में दो) के कार्यालयों पर छापे मारे। व्यापार स्थल पर किए गए सर्वे में यह फर्जीवाड़े सामने आया। उत्तराखंड की वित्त सचिव एवं कर आयुक्त सौजन्या ने बताया कि मंगलवार को मौके पर न कोई फर्म मिली और न ही कोई पंजीकृत व्यक्ति।

प्रतीकात्मक फोटो

ज्यादातर वाहन पूर्वोत्तर में पंजीकृत : उन्होंने बताया कि राज्य में कुछ लोगों ने जीएसटी के तहत फर्जी तरीके से पंजीयन लेकर ई-वे बिल के करोड़ों रुपये के कारोबार को दिखाया। जांच करने पर पता चला कि 70 में से 34 फर्मों ने दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के 1200 करोड़ मूल्य के ई-वे बिल बनाए। इसके बाद फर्मों ने उक्त सामान की आपस में खरीद-बिक्री के साथ प्रदेश के बाहर की फर्मों को भी खरीद और बिक्री दिखाई, जिससे बिल की धनराशि करीब 8491 करोड़ तक पहुंच गई। फर्जी तरीके से बनाए गए ई-वे बिल में प्रयोग किए गए वाहनों की प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि अधिकतर वाहन पूर्वोत्तर राज्यों में पंजीकृत हैं।

21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल : कर आयुक्त सौजन्या ने बताया कि कुल 80 लोगों ने 21 मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी का प्रयोग करते हुए दो-दो की साझेदारी में 70 फर्म पंजीकृत कीं। पंजीयन में दर्ज ब्योरे के मुताबिक सभी साझीदार हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति ने अलग-अलग नाम से अलग-अलग फर्मों में साझेदारी की है। किराए पर लिए गए स्थान का किरायानामा और बिजली का बिल लगाया गया है। जांच से पता चला कि मकान मालिक ने इस तरह का करार किसी फर्म से नहीं किया है।

गलत उम्र बताने पर आजम खां के बेटे अब्दुल्ला का निर्वाचन रद

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनके रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने को शून्य घोषित करते हुए उनका निर्वाचन रद कर दिया है। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति चुनाव आयोग व विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने नवाब काजिम अली खां की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल नहीं थी, जबकि चुनाव के लिए 25 साल न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। कोर्ट ने कहा कि हाईस्कूल के फार्म में अब्दुल्ला की जन्म की तारीख एक जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि उनकी मां तजीन फात्मा का कहना है कि यह तारीख सही नहीं है। उनके बेटे का जन्म क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में 30 सितंबर 1990 को हुआ था, जो नगर निगम लखनऊ में दर्ज है। 17 जनवरी 2015 को जन्म प्रमाणपत्र की अर्जी दी गई थी। मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई है। अस्पताल में मेल बेबी का जन्म लिखा है। इससे यह साबित नहीं होता कि वह बच्चा अब्दुल्ला आजम ही था। अब्दुल्ला ने वोटर लिस्ट में दर्ज जन्म की तारीख के आधार पर नामांकन पत्र दाखिल किया। इसे ठोस आधार नहीं माना जा सकता। (पेज-6 भी देखें)

अब्दुल्ला आजम। फाइल

हाई कोर्ट ने कहा, विधानसभा चुनाव लड़ते समय 25 साल के नहीं थे अब्दुल्ला